12.4.17

वकील वादीगण अनुपस्थित

न्यायालय समय की समाप्ति तक पुकार² समय से तीन बार अलग² समय से वकील व वादीगण को आवाजें दिलवाई गई। लेकिन ~~वकील~~ वकील व वादीगण में से कोई हाजिर नहीं हुआ है। इससे प्रतीत होता है, कि वादीगण अपना वाद आगे चलाना नहीं चाहते है। ऐसी सूरत में वाद को इसी स्टेज पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। वकील श्री भंवरलाल चारण द्वारा वादी सं. 1 व 4 की ओर से न्यायालय समय की समाप्ति के समय वकालतनामा पेश किया गया है जो ~~सीधे~~ मान्य नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण वादीगण की तरफ से वकालतनामा पेश नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में उक्त वकालतनामा का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा वादीगण व उनके नियुक्त अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर वादीगण की वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद तकमील आज दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

महायक कलक्टर

SDO सिणधरी